

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 11/2012

संस्थित दिनांक-12.01.12

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

राधेश्याम पुत्र श्रीराम लोहिया उम्र 58 साल

निवासी सब्जी मण्डी गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 24.07.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर आवश्यक वस्तु अधिनियम (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आरोप है कि अभियुक्त ने दिनांक 19.10.11 को 2:55 बजे बिना वैध अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से 27 गैस सिलैण्डरों का भण्डारण कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध कारित किया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.10.2011 को गोहद में पदस्थ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोहद के निर्देश में तत्कालीन तहसीलदार आर०एस० वाकना के साथ सब्जी मण्डी स्थित अभियुक्त की दुकान का निरीक्षण दोपहर 5:55 बजे किया तो निरीक्षण में दुकान में 27 घरेलू गैस सिलैण्डर पाए गए जिनमें 10 सिलैण्डर भरे भारत पेट्रोलियम क्व 17 सिलैण्डर खाली थे, जिनमें दो अन्य सिलैण्डर इण्डेन कंपनी के भी पाए गए। जिनके कागज दिखाने की कहने पर अभियुक्त द्वारा कोई कागज पेश नहीं किए। मौके पर सिलैण्डर के अतिरिक्त गैस भरने का पंप भी पाया गया। पंचनामा, जब्ती पत्रक तैयार कर उक्त सिलैण्डर सीताराम भारत गैस एजेंसी को सुपुर्दगी में प्रदान किए। अभियुक्त का कृत्य दृवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और विनियमन) आदेश 2000 की कण्डिका 3 के उल्लंघन में पाए जाने से थाना गोहद में अप०क्र०-232/11 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3. अभियुक्त को पद क० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ़्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने उसके निर्दोष होने तथा झूठा फंसाए जाने का कथन किया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 19.10.11 को 2:55 बजे बिना वैध अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से 27 गैस सिलैण्डरों का भण्डारण कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से राजेन्द्र यादव अ०सा० 1, इन्द्रवीरसिंह अ०सा० 2, आर०एस० भदौरिया अ०सा० 3, एन०सी० यादव अ०सा० 4, नवीन अ०सा० 5 को परीक्षित कराया गया है।

6. प्रकरण में आर०एस० भदौरिया अ०सा० 3 कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा यह कथन किया गया है कि दिनांक 19.10.11 को वे गोहद में पदस्थ थे। उक्त दिनांक को दोपहर 2:55 बजे तत्कालीन तहसीलदार श्री वाकना के साथ प्राप्त सूचना के आधार पर सब्जी मण्डी स्थित लोहिया की दुकान पर निरीक्षण हेतु गए थे। दुकान में 27 घरेलू गैस सिलैण्डर रखे पाए जिनमें 10 सिलैण्डर भरे एवं 17 सिलैण्डर खाली थे। सिलैण्डरों में 25 सिलैण्डर भारत गैस कंपनी के और दो खाली सिलैण्डर इण्डेन गैस कंपनी के थे जिन्हें रखने का हाजिर अदालत आरोपी से दस्तावेज चाहे जाने पर उसने दस्तावेज पेश नहीं किए तब उन्होंने मौके पर पंचनामा प्र०पी० 1 तैयार किया था जिस पर अपने बी से बी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। तत्पश्चात् सिलैण्डर जब्त कर जब्ती पत्र प्र०पी० 2 बनाए जाने का कथन करते हैं, उस पर भी बी से बी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। सिलैण्डरों को भारत गैस एजेंसी के संचालक को सुपुर्दगी पर देकर सुपुर्दगीनामा प्र०पी० 5 तैयार करने का कथन करते हैं और उस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।

7. पंचनामा प्र०पी० 1 के अन्य साक्षी राजेन्द्र यादव अ०सा० 1 तथा नवीन अ०सा० 5 हैं जिनमें राजेन्द्र यादव 4-6 साल पहले गोहद सब्जी मण्डी में काफी भीड़ भाड़ होने का कथन करते हैं और वहां पुलिस भी मौजूद होने का कथन करते हैं, किन्तु पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गयी इसके संबंध में जानकारी का अभाव बताते हैं। साक्षी उसके समक्ष कोई जब्ती, पंचनामा आदि कार्यवाही को अस्वीकार करते हैं। यद्यपि प्र०पी० 1 व 2 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर किया जाना पुलिस के कहने पर बताते हैं। साक्षी नवीन अ०सा० 5 जो कि अभियुक्त का पुत्र है वह उसके समक्ष कोई भी कार्यवाही होने से इंकार करता है। यह साक्षी भी प्र०पी० 1 व 2 पर सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताता है। इन्द्रवीर अ०सा० 2 भी पक्षविरोधी घोषित किया गया।

8. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन के साक्षीगण अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करते हैं, इस कारण से कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के कथन पर विश्वास न किए जाने का तर्क प्रस्तुत किया है। प्रकरण में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि प्र०पी० 1 व 2 की कार्यवाही के साक्षियों में साक्षी नवीन अ०सा० 5 अभियुक्त का पुत्र है ऐसे में उसके अपने पिता के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने की संभावना क्षीण है। साक्षीगण द्वारा प्र०पी० 1 व 2 पर अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया गया है। उक्त साक्षीगण ने अभिकथित प्र०पी० 1 व 2 पर हस्ताक्षर पुलिस के कहने पर करना बताया है किन्तु साक्षीगण के द्वारा हस्ताक्षर किसी भय, संत्रास, कपट या दुर्व्यपदेशन के अधीन किए गए हो, ऐसा अभिलेख पर नहीं हैं और न हीं उक्त साक्षियों द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी या न्यायालय में ऐसी कोई शिकायत की हो कि उन पर उक्त दबाव के अधीन हस्ताक्षर कराए गए हों। ऐसी दशा में उक्त साक्षीगण के पक्षविरोधी हो जाने मात्र से संपूर्ण अभियोजन का मामला ध्वस्त नहीं हो जाता है।

9. राजेन्द्र यादव अ०सा० 1 जो अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन करते हैं कि वे अभियुक्त को नहीं जानते और सब्जी मण्डी जब पुलिस कोई कार्यवाही कर रही थी तब हस्ताक्षर किए थे किन्तु साक्षी सूचक प्रश्न में स्वीकार करता है कि दिनांक 19.10.11 को जब करीब 2:30 बजे बाजार करने सब्जी मण्डी आया था, जैसे ही राधेश्याम की दुकान के पास आया तो देखा वहां भीड़ लगी थी। इस प्रकार से यह साक्षी अभियुक्त को न जानता हो, यह तथ्य उसी की स्वीकृति से संदिग्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त जहां मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई वही प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि भीड़ में सीताराम गैस एजेंसी के संचालक का भाई राकेश उपस्थित था और यह भी स्वीकार करते हैं कि वहां सारी कार्यवाही उसी के कहने पर हो रही थी और यह भी स्वीकार करते हैं कि जिस स्थान पर भीड़ हो रही थी उस स्थान के सामने भारत गैस एजेंसी का गोदाम था। ऐसी दशा में उक्त साक्षी के पक्षविरोधी होने के बावजूद उसका संपूर्ण कथन व्यर्थ नहीं हो जाता है। न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत Paulmeli and anr. V.

State of Tamil nadu Tr. Insp. Of Police AIR 2014 SC (Supp) 1249 : (2014) 13 SCC 90 : 2014 (7) SCALE 508 की ओर आकर्षित होता है जिसकी कण्डिका 16 व 17 में मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित विधि सिद्धांत निम्नानुसार है –

16. This Court in Ramesh Harijan v. State of U.P., AIR 2012 SC 1979 : (2012 AIR SCW 2990) while dealing with the issue held : (Para 18 of AIR, AIR SCW)

"It is a settled legal proposition that the evidence of a prosecution witness cannot be rejected in toto merely because the prosecution chose to treat him as hostile and cross-examine him. The evidence of such witnesses cannot be treated as effaced or washed off the record altogether but the same can be accepted to the extent that their version is found to be dependable on a careful scrutiny thereof. (Vide: Bhagwan Singh v. The State of Haryana, AIR 1976 SC 202; Rabindra Kumar Dey v. State of Orissa, AIR 1977 SC 170;

Syad Akbar v. State of Karnataka, AIR 1979 SC 1848; and Khujji alias Surendra Tiwari v. State of Madhya Pradesh, AIR 1991 SC 1853) : (1991 AIR SCW 2038)".

17. In State of U.P. v. Ramesh Prasad Misra and Anr., AIR 1996 SC 2766 : (1996 AIR SCW 3468), this Court held that evidence of a hostile witness would not be totally rejected if spoken in favour of the prosecution or the accused but required to be subjected to close scrutiny and that portion of the evidence which is consistent with the case of the prosecution or defence can be relied upon.

A similar view has been reiterated by this Court in Sarvesh Narain Shukla v. Daroga Singh and Ors., AIR 2008 SC 320 : (2007 AIR SCW 6843); Subbu Singh v. State by Public Prosecutor, (2009) 6 SCC 462 : (2009 AIR SCW 3937); C. Muniappan and Ors. v. State of Tamil Nadu, AIR 2010 SC 3718; and Himanshu alias Chintu v. State (NCT of Delhi), (2011) 2 SCC 36) : (AIR 2011 SC (Cri) 426).

Thus, the law can be summarised to the effect that the evidence of a hostile witness cannot be discarded as a whole, and relevant parts thereof which are admissible in law, can be used by the prosecution or the defence.

10. इसके अतिरिक्त हाल ही में मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **Krishan Chander V. State of Delhi AIR 2016 SC 298 : (2016) 3 SCC 108** में

कण्डिका 28 पक्षविरोधी साक्षी की साक्ष्य के संबंध में निम्नानुसार विधि सिद्धांत रेखांकित किया है—

28. We are unable to agree with the above contentions urged by the learned ASG that the complainant-Jai Bhagwan turned hostile witness in the case before the trial court, however, the statement of evidence of Anoop Kumar Verma (PW-6) and inspector-Sunder Dev (PW-12) was sufficient to support the case of the prosecution with regard to acceptance of bribe amount by the appellant from Jai Bhagwan (PW-2). This Court is of the view that whenever a prosecution witness turns hostile his testimony cannot be discarded altogether. In this regard, reliance is placed by the ASG on the decision of this court in the case of Rabindra Kumar Dey v. State of Orissa (1976) 4 SCC 233 : (AIR 1977 SC 170). The relevant para 12 of the aforesaid case reads thus:

"12. It is also clearly well settled that the mere fact that a witness is declared hostile by the party calling him and allowed to be cross-examined does not make him an unreliable witness so as to exclude his evidence from consideration altogether. In Bhagwan Singh v. State of Haryana Bhagwati : (AIR 1976 SC 202), J., speaking for this Court observed as follows:

"The prosecution could have even avoided requesting for permission to cross-examine the witness under Section 154 of the Evidence Act. But the fact that the court gave permission to the prosecutor to cross-examine his own witness, thus characterising him as, what is described as a hostile witness, does not completely efface his evidence. The evidence remains admissible in the trial and there is no legal bar to base a conviction upon his testimony if corroborated by other reliable evidence."

(Emphasis supplied)

11. इस प्रकार से साक्षी राजेन्द्र यादव अ०सा० 1 के साक्ष्य से इस तथ्य का समर्थन होता है कि दिनांक 19.10.2011 को 2:30 बजे सब्जी मण्डी स्थित अभियुक्त की दुकान पर भारत गैस एजेंसी के संचालक के भाई राजेश की उपस्थिति में कार्यवाही की जा रही थी। आर०एस० भदौरिया अ०सा० 3 के द्वारा उसी कार्यवाही का कथन किया गया है और उस कार्यवाही का पंचनामा प्र०पी० 1 व जब्ती

पत्रक प्र०पी० 2 तैयार किया जाना और राजेन्द्र अ०सा० 1 के उस पर हस्ताक्षर होने के तथ्य को बल प्राप्त होता है। आर०एस० भदौरिया अ०सा० 3 यह कथन करते हैं कि उन्होंने उक्त कार्यवाही की लिखित रिपोर्ट तैयार कर प्र०पी० 6 के रूप में प्रस्तुत की थी जिस पर एसडीओ द्वारा उन्हें प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आदेशित किया गया था। तत्पश्चात् उन्होंने थाना गोहद में प्र०पी० 7 की प्राथमिकी लेख कराई जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार से साक्षी के द्वारा अभियुक्त के आधिपत्य की दुकान पर की गयी कार्यवाही के पश्चात् उसका प्रतिवेदन अपने नियंत्रणकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने और तत्पश्चात् निर्देशाधीन एफ० आई०आर० प्र०पी० 7 लेख कराए जाने का तथ्य साक्षी की अभिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई युक्तियुक्त आधार प्रकट नहीं करता है।

12. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उससे कोई सिलैण्डर जब्त नहीं हुए बल्कि भारत गैस संचालक के कहने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा असत्य कार्यवाही की है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत तर्क के संबंध में साक्षी आर०एस० भदौरिया अ०सा० 3 को प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में सुझाव दिया गया तो साक्षी ने यह बताया कि भारत गैस एजेंसी के संचालक को फोन के माध्यम से बुलाया था। साक्षी द्वारा कण्डिका 6 में यह याद न होना बताया है कि जब्ती कार्यवाही के समय गैस एजेंसी के संचालक मौके पर आ गए थे या नहीं। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उन्होंने एजेंसी के संचालक के कहने पर अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही की है। अभियुक्त की अभिकथित भारत गैस एजेंसी के संचालक से किस बात की रंजिश थी, इस संबंध में कोई भी स्पष्ट बचाव न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया है। जहां अभियोजन साक्षियों को गैस एजेंसी के संचालक के अनुसार कार्यवाही किए जाने का सुझाव दिया है तो इस संबंध में तर्क पूर्ण तथ्य होना आवश्यक है कि क्यों एक गैस एजेंसी का संचालक अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या कार्यवाही करेगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नवीन अ०सा० 5, जो कि अभियुक्त का पुत्र है, वह अपने साक्ष्य में लोहे की दुकान होना बताता है तो ऐसी दशा में अभियुक्त की कथित भारत गैस के संचालक से किस कारण से बुराई या रंजिश रही थी इस संबंध में कोई तथ्य न होने से अभियुक्त को असत्य रूप से लिप्त किए जाने का लिया गया बचाव युक्तियुक्त साक्ष्य से समर्थित नहीं है।

13. प्रकरण में यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आर०एस० भदौरिया अ०सा० 3 द्वारा यह बताया है कि उनके साथ तहसीलदार श्री वाकना भी मौजूद थे और कथित कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी गोहद के निर्देश पर की गयी थी किन्तु न तो श्री वाकना के हस्ताक्षर या कथन किसी दस्तावेज में हैं और न अभिकथित अनुविभागीय अधिकारी के निर्देश का कोई दस्तावेज या आदेश प्रकरण में संलग्न हैं। यहां यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि प्र०पी० 6 के प्रतिवेदन जिसे आर०एस० भदौरिया द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पेश करना बताया है उस पर बी से बी भाग पर कनिष्ठ आपूर्ति

अधिकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का निर्देश व हस्ताक्षर अंकित है। उक्त प्रतिवेदन में अनुविभागीय अधिकारी के निर्देश का स्पष्ट उल्लेख किया गया है साथ ही श्री आर०एस० वाकना तहसीलदार गोहद के समक्ष उपस्थिति में कार्यवाही किए जाने का हवाला दिया है। यदि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया गया तो प्र०पी० 6 पर बी से बी भाग पर उक्त टीप अंकित होना नितांत असंभव तथ्य था। प्रशासन कार्य में प्रायः सही बात त्वरित कार्यवाही हेतु मौखिक निर्देश या आदेश के अधीन कार्य किया जाता है जिसे सम्यक कार्यवाही से समर्थित होने पर विश्वास किया जा सकता है। प्र०पी० 6 के प्रतिवेदन में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को निर्देश प्रदान करना अनुविभागीय अधिकारी के निर्देश की संपुष्टि करता है। ऐसे में उक्त तर्क का कोई लाभ अभियुक्त को प्राप्त नहीं होता है।

14. यह भी तर्क अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किया गया कि सुपुर्दगीनामा प्र०पी० 5 के अनुसार कथित 27 सिलैण्डर सीताराम भारत गैस एजेंसी के संचालक को सुपुर्द कर दिए थे ऐसी दशा में कोई सिलैण्डर की शिनाख्त नहीं कराई गयी है और न ही उनकी अनन्यता को प्रमाणित किया है। उक्त तर्क के संबंध में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि दृव्य पेट्रोलियम गैस ज्वलनशील वस्तु है जिसके भण्डारण एवं संधारण हेतु उचित रक्षा उपाय अपनाने की आवश्यकता रहती है और ऐसी दशा में गैस एजेंसी के संचालक को अंतरिम अभिरक्षा या सुपुर्दगी में गैस सिलैण्डर को प्रदान किया जाना अभियोजन के मामले को दुर्बल नहीं कर देता है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा अविलंब त्वरित कार्यवाही की गयी है जिस पर युक्तियुक्त रूप से अविश्वास का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। जहां तक प्रकरण में जब्तशुदा सिलैण्डर की शिनाख्ती की आपत्ति का प्रश्न है तो साक्षियों द्वारा अभिकथित सिलैण्डरों पर कोई पहचान का चिन्ह होने का आधार नहीं बताया है ऐसे में सिलैण्डर इस प्रकार की विषय वस्तु है जिसकी आसानी से पहचान संभव नहीं है। ऐसे में यह तर्क भी अभियुक्त को कोई लाभ प्रदान नहीं करता है।

15. प्रकरण में अनुसंधानकर्ता एन०सी० यादव अ०सा० 4 है जो संबंधित प्रकरण की केस डायरी प्राप्त होने पर नक्शा मौका बनाए जाने, साक्षियों के कथन लेखबद्ध करने तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिर० पंचनामा बनाए जाने का कथन करते हैं। साक्षी द्वारा दिनांक 19.10.11 को विवेचना प्राप्त होने पर 22.10.11 तक कोई कार्यवाही न करने का कारण पूछे जाने पर साक्षी द्वारा स्पष्ट किया कि आर०एस० भदौरिया दिनांक 20 व 21 तारीख को नहीं मिले इसलिए 22 तारीख को कार्यवाही की। इस प्रकार से अभियोजन की साक्ष्य में कोई गंभीर विरोधाभास या विसंगति प्रकट नहीं हुई है जिसके आधार पर अभियोजन का मामला ध्वस्त हो जाता हो।

16. अतः अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 19.10.11 को 2:55 बजे बिना वैध अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से 27 गैस सिलैण्डरों का भण्डारण कर अवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध कारित किया।

17. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उसे अभिरक्षा में लिया गया।

18. अभियुक्त का कृत्य स्वेच्छा पूर्वक अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के सिलैण्डर संधारित किए जाने के आधार पर दोषी पाया गया है, ऐसे में उसे आर्थिक अपराध के अधीन दोषसिद्धि के कारण परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त व उनके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

सही/-

ए०के० गुप्ता

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

पुनश्च:

19. अभियुक्त एवं उनके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्त की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्त के गरीब व्यापारी होने के आधार पर उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

20. अभियुक्त यद्यपि अभियोजन दस्तावेजों के अनुसार करीब 59 वर्षीय व्यक्ति है, किन्तु उसके द्वारा ज्ञानयुक्त आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के अपराध कारित करने के आशय से गैस सिलैण्डरों का अवैध भण्डारण किए जाने के संबंध में आरोप प्रमाणित पाया गया है। अभियुक्त का कृत्य न केवल आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है बल्कि उसके द्वारा बिना सुरक्षा के प्रबंध किए गैस सिलैण्डरों का भण्डारण समाज में किसी दुर्घटना की जननी भी हो सकता था। यद्यपि अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर तथ्य नहीं हैं किन्तु आर्थिक अपराधों को कारित किए जाने की प्रवृत्ति तीव्रता से बढ़ रही है जिसे हतोत्साहित किए जाने का प्रयास प्रत्येक स्तर पर आवश्यक है ऐसे में अभियुक्त को अधिनियम की धारा 3/7 के अधीन **एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच सौ रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को **एक माह का सश्रम कारावास** भुगताया जावे।

21. जब्तशुदा 27 सिलैण्डर पूर्व से सुपुर्दगी पर हैं। अपील अवधि पश्चात् जब्तशुदा सिलैण्डर विधि अनुसार निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजे जावें। अपील की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

22. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि के संबंध में दफ़्तर की धारा 428 का प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से संलग्न किया जावे। अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि यदि कोई रही हो तो वह दी गयी सजा में समायोजित की जावे।

23. निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्त को प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

सही /—

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही /—

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश